न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :—सुभाषचन्द आर.ए.एस.

[illegible] 137/2011
[illegible]एमएस : 2011/2011

हरबन्शसिंह बनाम जोगेन्द्रसिंह
अन्तर्गत धारा 88–92–91–188–209 आरटीएक्ट

[illegible]स्थिति :—
[illegible] सुभाषचन्द्र वकील प्रार्थी (प्रतिवादी)
[illegible]सिंह सूदन वकील अप्रार्थी (वादी)

[illegible] 76/2020
[illegible]एमएस:—2020/00173

हरबंशसिंह आदि बनाम श्रीमती हरभजनकौर **उर्फ जसवन्तकौर आदि**
अन्तर्गत धारा 53–88–188 **आरटीएक्ट**

[illegible]स्थिति :—
[illegible] सुभाषचन्द वकील प्रार्थी (प्रतिवादी)
[illegible]पालसिंह सूदन वकील अप्रार्थी (वादी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी
—: निर्णय प्रार्थनापत्र :—

दिनांक : 26.05.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 11.02.2025 को प्रार्थीया/ प्रतिवादीगण हरभजकौर बेबा जोगन्दरसिंह व जसविन्द्र कौर पुत्री जोगेन्द्र सिंह ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 22 एनपी का मुरब्बा नं. 15 पं.नं. 176/326 की कुल 1.164 है. यानि 4 बीघा 12 बिस्वा भूमि व चक 16/17 एन.पी. मु.नं. 4 व 19 की 3.037 है. भूमि बाबत न्यायालय में पेश किया गया है यह रकबा करस्टोडियन भारत सरकार का रकबा है जोगेन्द्रसिंह की दिनांक 27.09.2021 को मृत्यु हो चुकी है उसके बाद रकबा मृतक जोगेन्द्रसिंह के वारिसान के नाम ब.हि.ब. इन्तकाल 263 दिनांक 20.11.2024 के द्वारा दर्ज रिकार्ड हुआ है। प्रतिवादीगण का प्रत्येक 1/5 के भाग के अनुसार रकबा प्राप्त हुआ है। वादीगण द्वारा उपर्युक्त वादपत्र हम प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज खातेदारी रकबा व कस्टोडियन रकबा को लेकर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। उक्त रकबा प्रतिवादीगण का खातेदारी रकबा है व हमारे खातेदारी रकबा को लेकर वादीगण को हम प्रतिवादीगण के विरूद्व कोई दावा व मुखास्मत दावा हासिल नहीं होने के कारण वादीगण का वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज योग्य है अतः वादी का वाद पत्र खारिज फरमाया जावे।

2. जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी अधिवक्ता प्रार्थी/वादी द्वारा पेश यिका गया। जवाब दावा के अनुसार दफा 1 प्रार्थना पत्र स्वीकार है दफा 2 प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं। वादग्रस्त भूमि का कब्जा हरभजनकौर द्वारा धोखाधड़ी से वादीगण से प्राप्त किया है दफा 3 प्रार्थ[illegible]कार नहीं। वादग्रस्त भूमिपर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर विस्थापित भूमि [illegible] नि[illegible] लागू होने से वादीगण का हरभजनकौर के साथ ब.हि.ब. [illegible] 1.18 बीघा भूमि आती है। जिसकी बेदखली की कार्यवाही भी प्रस्तावित [illegible] वाद पत्र बाद हेतुक प्रकट करता है किसी विधि द्वारा वर्जित [illegible] प्रतिवादिया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार चक 16/17 एन.पी. पटवार क्षेत्र करड़वाली के मु.नं. 4 के कि.नं. 3, 4/2, 8 की 0.507 है. भूमि व मु.नं. 19 की 2.530 है. भूमि कुल 3.037 है. भूमि जोगेन्द्रसिंह माता सुन्दरी पत्नी सुन्दरसिंह कोम कश्मीरी

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.06.02 16:05:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

ब्राहाम्ण सिख के नाम से दर्ज रिकार्ड है। जोगेन्द्रसिंह की दिनांक 27.09.2021 को मृत्यु हो चुकी है जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र पत्रावली में उपलब्ध हे ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र दिनांक 25.11.2024 के अनुसार जोगेन्द्रसिंह के निम्न पांच वारिस है 1. जसवन्तकौर उर्फ हरभजनकौर पत्नी, 2.हरबंशसिंह पुत्र, 3. पपिन्द्रकौर पुत्री, 4. रविन्द्रसिंह पुत्र, जसविन्द्रकौर पुत्री इन पांच के अलावा अन्य कोई सदस्य (वारिस) नहीं है जोगेन्द्रसिंह का हरबंशसिंह आदि बनाम जोगेन्द्रसिंह वाद में जवाब दावा पेश किया हुआ है जो शामिल सिमल है। उस जवाब दावा के अनुसार वादीगण उनसे द्वैष रखते है। प्रतिवादी जोगेन्द्रसिंह 80 वर्ष का वृद्व व्यक्ति है अकसर बीमार रहता है। वादीगण द्वारा उसे परेशान करने, जमीन हड़पने व नाजायज अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए यह वाद पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज है। चूंकि जोगेन्द्रसिंह माता सुन्दरी का देहान्त 27.09.2021 को हो चुका है उसकी मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि का विरास्तन नामान्तरण संख्या 263 दिनांक 20.11.2024 दर्ज होकर उक्त रकबा वारिसान के नाम ब.हि.ब. दर्ज हो चुका है विरास्तन नामन्तरण दर्ज करने में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटिकारित किया जाना प्रतीत नहीं होता। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता

आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 26.05.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में ाया गया।

(सुभाषचन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.06.02 16:05:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner